



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 6522/रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,  
-सह-  
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
धनबाद।

सेवा में,

अवर सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

धनबाद, दिनांक 13/10/2020

विषय :-

जन वितरण प्रणाली से संबंधित निवारण हेतु जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :-

अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची का पत्रांक-554, दिनांक-24.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवदीय द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में दिनांक-13.10.2020 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों का कार्ड में नाम जोड़ने हेतु, कुछ लोगों से बिना तौल के कम राशन मिलने के कारण शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, तथा कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके नाम से किया गया हस्ताक्षर उनका नहीं है। अतः उक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किया गया शिकायत निराधार है। शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया बयान एवं हस्ताक्षर की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथा-उपर्युक्त।

विश्वसभाजन,

13/10/2020

अपर समाहर्ता,

-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,

धनबाद।  
13/10/2020

प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, नीपचौकी

पत्तांक 20

दिनांक 6/5/20

प्रेषक :- अंगुल अधिकारी  
- एए -

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी  
नीपचौकी

सूचना में

अपर समाहर्ता आपूर्ति  
एनएड।

विषय :- क्वचन सारक SHJ मालती देवी जा. नं. 7/1109 के सामुहिक  
शिकायत पर भौतिक जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 5-5-20 को अपराहन 3  
वजे गौरी पंचायत के गौरी ग्राम में संबन्धित जा. नि. प्र. विज्ञान  
पर 15 कार्डधारियों द्वारा शिकायत की भौतिक जाँच किया गया।  
शिकायत आवेदन में कुल 5 कार्डधारियों द्वारा सामुहिक रूप से  
स्वादानु कर्तव्य की बात की गई है। परन्तु भौतिक रूप से 14  
कार्डधारियों से पुछताछ के साथ लिखित रूप से प्रतिवेदन किया  
कि कुछ लोग कडि में नाम जोड़ने को लेकर हस्ताक्षर कराया है  
कुछ कार्डधारियों ने अपना हस्ताक्षर नहीं होने का भी बात एवं  
कुछ कार्डधारियों द्वारा 149-पापल कर्तव्य की गई है  
अनादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

है। प्रेषित।

अंगुलगनक

कार्डधारियों द्वारा लिखित  
रूप हस्ताक्षरित पत्रान का  
जाँच प्रतिवेदन भूज प्रति।

विश्वासभाजन



अंगुल अधिकारी  
- एए -

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी  
नीपचौकी

प्रेषक :- कर्मचारी  
- सह -

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी  
तांपरौली

सेवा में

अपर सहाय्यी आपूर्ति  
दफ्तराद ।

विषय :- गौ लक्ष्मी SMLA योजना तैनी ला० न० 25/7/09 के सामूहिक  
शिकायत पर मौखिक ऑप प्रतिक्रिया समर्पित करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 5.5.20 को अपराह्न 3 बजे  
तॉलरी पंचायत के तॉलरी ग्राम में संबंधित 08 वि० प्र० विद्येता पर 9  
कार्डधारियों द्वारा शिकायत की मौखिक ऑप किया गया । शिकायत  
आवेदन में कुल 11(एच) कार्डधारियों द्वारा सामूहिक रूप से पंचायत करौती  
की बात की गई है । परन्तु मौखिक रूप से 8 कार्डधारियों से पुछताछ  
के साथ लिखित रूप से प्रतिक्रिया किया कि कुछ लोग कार्ड में नाम  
ओड़ने की लेकर हस्ताक्षर करायो है । कुछ कार्डधारियों ने अपना हस्ताक्षर  
गमने देने का भी बात एवं कुछ कार्डधारियों द्वारा 118 पावल  
करौती की गई है ।

सादर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

अंगुलठनक

कार्डधारियों द्वारा लिखित  
रूप हस्ताक्षरित पत्रान का  
ऑप प्रतिक्रिया मूल प्रति ।

विश्वामाजन

५  
कर्मचारी  
- सह -

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी  
तांपरौली